


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 20/2022

उनवानी :- राधामोहन वगैराह बनाम करतार वगैराह

दिनांक	फर्द अहकाम
06.02.2026	<p>आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर पेश हुई। सायलान एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। वकील सायलान ने अवगत कराया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। मुकदमा को NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं। इसलिए मुकदमा नं. 20/2022 उनवानी राधामोहन वगैराह बनाम करतार वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 03.02.2022 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्वो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी ( करौली )</p>